कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक 18.03.2023

जिलाबदर का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त सुभाष यादव, अवैध तमंचा के साथ थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17/03/2023 को जरिये मुखबिर खास सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी सुभाष यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी कुतुलुपुर थाना रामनगर, वाराणसी उम्र 38 वर्ष जो छः माह के लिए जिला बदर किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को दुर्गा माता मंदिर के पास स्थित रामबाग पोखरा के उत्तर तरफ रोड़ के किनारे पोखरे की सीढ़ी पर उसके अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 23.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग :- मु0अ0सं0- 0053/2023 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17/03/2023 को उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज को जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना रामनगर क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी सुभाष यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी कुतुलुपुर थाना रामनगर, वाराणसी उम्र 38 वर्ष जो छः माह के लिए जिला बदर किया गया जो दुर्गा माता मंदिर के पास स्थित रामबाग पोखरा के उत्तर तरफ रोड़ के किनारे पोखरे की सीढ़ी पर बैठा है। मुखबिर की सूचना पर जिला बदर हुए अभियुक्त सुभाष यादव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 दिनांक 12.12.2023 से 6 माह के लिए श्रीमान् अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश से जिला बदर किया गया है किन्तु अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना किसी अनुमति के आकर अपने घर रह रहा था। जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने व अभियुक्त सुभाष यादव उपरोक्त के पास से अवैध तमंचा बरामद होने पर गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व 3 / 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार तिवारी को दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :- सुभाष यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी कुतुलुपुर थाना रामनगर, वाराणसी उम्र 38 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-353/2017 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

2. मु0अ0सं0-0099 / 2018 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-0122/2021 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान :- दिनांक- 17.03.2023, समय 23.10 बजे, स्थान- दुर्गा माता मंदिर के पास स्थित रामबाग पोखरा के उत्तर तरफ रोड़ के किनारे पोखरे की सीढ़ी पर।

बरामदगी का विवरण- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री भरत उपाध्याय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 शिवसमुझ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त
जोन काशी
कमिश्नरेट वाराणसी